

नगर पालिका, चिरावा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)



अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.:

LSG/CHIRAWA/FIRENOC/2025-26/58335

जारी दिनांक:

17-SEP-2025

वैधता दिनांक:

16-SEP-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHAKTI SINGH

आवेदक का पता: WARD NO 13 PUJARI COLONY STATION ROAD CHIRAWA

विषय:- अधिनामन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने वाले

आपके भवन DALMIA VIDYA MANDIR, 1, WARD NO 13 STATION ROAD, PUJARI COLONY, CHIRAWA, JHUNJHUNU, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अधिन सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- अधिनामन उपकरण समयावधि में रीफिल करना होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर कि उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविश्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रमिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए हम सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यील स्थिति में रखने को वाध्य होंगे।
- रफटॉप कार्य हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है।
- यह अधिन सुरक्षा प्रमाण-पत्र अधिन सुरक्षा की दृश्टि से ही मान्य होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवाक दिए निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति जलनील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र रफटॉप रेस्टोरेंट के लिए मान्य नहीं हैं। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा रहा है वह पर रफटॉप रेस्टोरेंट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
- अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि अनुसार होगी। अन्तिम तिथि पश्चात् अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः विरस्त माना जावेगा तथा उसे आवेदक द्वारा पुनः नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- भवन के समर्त रुफ व सिक्योरिटी गार्ड्स को वर्षा में कम से कम दो बार अधिनामन विभाग द्वारा प्रक्षिण दिलाना आवश्यक होगा।
- भवन का मुख्य अधिनामन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि रियति में यह अभिंशा पत्र विरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यील स्थिति में रखने को वाध्य होंगे।
- यह प्रमाण पत्र स्वामित्व व कब्जे का दस्तावेज नहीं है।

PRINCIPAL
DALMIA VIDYA MANDIR
CHIRAWA

For DALMIA SHIKSHA SAMITI

(Secretary)

Signed by: Rohit Kumar Meel
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: CHIRAWA, Rajasthan
Date: 17/09/2025 11:36:27



अधिनामन अधिकारी
नगर पालिका, चिरावा